बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 170688 पटना, दिनांक 06-02-2013

ग्रा0वि07(आं0)-47/2013

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह,
आयुक्त, मनरेगा ।

सेवा में,

प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना ।
प्रधान सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, बिहार, पटना ।
महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना ।
प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना ।
प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान, बिहार, पटना ।

विषय:- **महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत प्रखंड स्तर पर ग्रामीण गोदाम के निर्माण हेतु मुख्य सचिव, बिहार सरकार के कार्यालय प्रकोष्ट में दिनांक 20.12.2013 को 05.30 बजे अपराहन में आयोजित बैठक के संबंध में ।**

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 168413 दिनांक 12.11.2013 एवं 168723 दिनांक 20.11.2013

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में सूचित करना है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसूची-1 के पारा 1बी0 में संशोधन करते हुए **"Modern and scientific Food Grains Storage"** के निर्माण को अनुमान्य किया गया है, के संबंध में दिनांक 20.11.2013 को अपराहन 01 बजे मुख्य सचिव बिहार सरकार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक अपरिहार्य कारणवश स्थगित कर दी गयी थी ।

निदेशानुसार पुन: उपर्युक्त विषयक बैठक दिनांक 20.12.2013 को 05.30 बजे अपराहन में मुख्य सचिव, बिहार सरकार की अध्यक्षता में आहूत की गयी है ।

अत: अनुरोध है कि दिनांक 20.12.2013 को अपराहन 05.30 बजे आहूत बैठक में ससमय भाग लेने की कृपा की जाए ।

अनु0- दिनांक 01.11.2013 को हुई विषयक
बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति ।

विश्वासभाजन

(मिहिर कुमार सिंह)
आयुक्त, मनरेगा

पत्रांक________________ पटना, दिनांक________________

ग्रा0वि07(आं0)-47/2013

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव बिहार सरकार के प्रधान आप्त सचिव/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त, मनरेगा

दिनांक 1-11-2013 को सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत प्रखंड स्तर पर ग्रामीण गोदाम के निर्माण हेतु बैठक की कार्यवाही :-

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसूची-1 के गद्यांश 1B में clause (xvb) जोड़ा गया है जिसमें मनरेगा के अन्तर्गत " राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन हेतु आधुनिक एवं वैज्ञानिक भंडारण निर्माण की सुविधा एवं रखरखाव " का प्रावधान किया गया है ।

2- योजना में इस प्रावधान के अन्तर्गत गोदामों के निर्माण संबंधी विषय पर चर्चा करने के लिए सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के स्तर पर सहकारिता विभाग एवं बिहार राज्य खाद्य निगम के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई जिसमें निम्नवत बिन्दु उद्दत हुए :-

(1) राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रखंड स्तर पर गोदाम निर्माण किया जा रहा है । वर्तमान में 500 मे0टन, 1000 मे0 टन एवं 2000 मे0टन की क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जा रहा है । 500 मे0 टन की मानक प्राक्कलित राशि 47 लाख रूपया है एवं इससे उच्च क्षमता के गोदामों की लागत ज्यादा है । इनका निर्माण संविदा के आधार पर किया जा रहा है ।

(2) सहकारिता विभाग की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि श्री बी0 एन0 झा, उप निबंधक ने बताया कि राज्य में 8463 पैक्सों में 200 मे0 टन क्षमता के गोदाम बनाए जाने की योजना है । एक गोदाम की प्राक्कलित राशि 10.70 लाख रूपया है । अबतक लगभग 21 सौ गोदामों का निर्माण कार्य राज्य योजना से चल रहा है । इनका निर्माण कार्य संबंधित पैक्सों द्वारा विभागीय तौर पर कराया जा रहा है ।

(3) मनरेगा के प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए निम्नवत् विकल्प है :-

3.1 मनरेगा में श्रम : सामग्री का 60 : 40 अनुपात प्रखंड / पंचायत स्तर पर संधारित करना है । इस दृष्टिकोण से 200 मे0टन क्षमता से अधिक क्षमता के गोदाम का निर्माण कार्य लिया जाना संभव नहीं है । उस दृष्टिकोण से राज्य खाद्य निगम अतिरिक्त क्षमता सृजन के लिए छोटे गोदाम बनाने के लिए विचार सकता है ।

1.11.13

3.2 पैक्सों का गोदाम निर्माण राज्य योजना से हो रहा है अत: उन्हें मनरेगा योजना से कराए जाने पर विचार किया जा सकता है । पैक्सों द्वारा मनरेगा से निधि प्राप्त कर के इन गोदामों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है ।

(4) चूँकि यह अन्तरविभागीय मामला है अत: इस पर मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर विचार करने हेतु प्रस्तुत किया जाए जिसमें सभी संबंधित विभागों को भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाए ।

1.11.13

(अमृत लाल मीणा)
सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक:- 168277 दिनांक:- 06.11.2013
ग्रा० वि० 7(आं)-47/2013

प्रतिलिपि:- प्र० सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्र० सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना / प्रबंध निदेशक बिस्कोमान, पटना एवं महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

6.11.13
(सतीश रंजन सिन्हा)
M & E Officer.